



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-10022025-260883
CG-KA-E-10022025-260883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946

No. 673]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2025

का.आ. 677(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नीचे सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले में कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में और नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत यथा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवलगुंड रोड - एनीगेरी @ चे : 34/700-800 (एनीगेरे गांव) में एलसी नंबर 18 के बदले में 2 लेन के आरओबी का निर्माण	धारवाड़	सहायक आयुक्त, धारवाड़	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2024-25/भूमि एसआरपी/1727]

पि. वि. वि. सत्यनारायण, उप मुख्य इंजीनियर/1 एवं भंडार
बेंगलुरु छावनी,
दक्षिण पश्चिम रेलवे

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2025

S.O. 677(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the central government hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as ‘Competent Authority’ and the officers mentioned in column (5) of the table below as ‘Arbitrator’ to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. 18 at Navalgund Road - Annigeri @ Ch: 34/700-800 (Annigere Village).	Dharwad	Assistant Commissioner, Dharwad	Regional Commissioner, Belgavi

[F. No. W.271/CN/BNC/2024-25/Land SRP/1727]

P. V. V. SATYANARAYANA, Dy. Chief Engineer/1&Stores
Bengaluru Cantonment,
South Western Railway